भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2100

जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता

2100. श्री सी. एन. अन्नादुरई :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले अन्य समुदायों के सदस्यों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित प्राधिकरणों और संस्थानों का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में तमिलनाडु में इसकी क्या स्थिति है ;

(ख) क्या सरकार ने गरीब और कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को निशुल्क कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता पहल आरंभ की है और यदि हां, तो तमिलनाडु में आयोजित आउटरीच कार्यकलापों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा कितने मामलों पर विचार किया और प्रदान की गई कानूनी सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने एनएएलएसए सहित विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्य निष्पादन और कार्यप्रणाली की निगरानी और मूल्यांकन के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश भर में, विशेषकर तमिलनाडु में निशुल्क कानूनी सहायता प्रदायगी को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं सहित समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण/संस्थाएँ स्थापित की गई हैं :-

i. राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)

ii. उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी)

iii. उच्च न्यायालय स्तर पर 38 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ (एचसीएलएससी)

iv. राज्य स्तर पर 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)

v. जिला स्तर पर 708 (तमिलनाडु में 32 सहित) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)

vi. तालुक स्तर पर 2440 (तमिलनाडु में 193 सहित) तालुक विधिक सेवा समितियाँ (टीएसएससी)

(ख) : विधिक सेवा प्राधिकरण देश भर में बच्चों, मज़दूरों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों आदि से संबंधित विभिन्न विधियों और योजनाओं तथा मुफ़्त विधिक सहायता के अधिकार के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं । विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों के बीच वितरण के लिए विभिन्न विधियों पर सरल भाषा में पुस्तिकाएँ और पर्चे भी तैयार करते हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में (तमिलनाडु सहित) विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों/कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	तमिलनाडु		(तमिलनाडु सहित) संपूर्ण देश में	
	विधिक जागरूकता कार्यक्रम	भाग लेने वाले व्यक्ति	विधिक जागरूकता कार्यक्रम	भाग लेने वाले व्यक्ति
2022-23	10,814	13,27,379	4,90,055	6,75,17,665
2023-24	4,408	7,12,534	4,30,306	4,49,22,092
2024-25	6,284	10,10,195	4,62,988	3,72,32,850
कुल	21,506	30,50,108	13,83,349	14,96,72,607

(ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के अंतर्गत विधिक सहायता एवं सलाह से लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	विधिक सहायता और सलाह से लाभान्वित व्यक्ति
2022-23	12,14,769
2023-24	15,50,164
2024-25	16,57,527
कुल	44,22,460

(घ) : विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए, नालसा सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से मासिक गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है, जिसमें किसी विशेष मास में की गई सभी गतिविधियों का विवरण होता है । इसके बाद, नालसा द्वारा मासिक आधार पर एक अंतिम गतिविधि रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है, जिसकी समीक्षा और संकलन किया जाता है । मासिक गतिविधि रिपोर्टों के अतिरिक्त, नालसा सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे सरकार द्वारा संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत विधिक सहायता के कामकाज की समीक्षा करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है । इसके अलावा, विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए नालसा द्वारा अक्सर अखिल भारतीय बैठकें और क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जाती हैं । इसके अतिरिक्त, विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर नालसा और न्याय विभाग के प्रतिनिधियों के बीच नियमित बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ।
